न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, म०प्र०

भोला प्रसाद पिता श्री झगड़ू पटेल (कलार) निवासी कठार, तहसील मानपुर

जिला उमरिया म०प्र०— निग —1872— II —16 ——निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म०प्र०जरिये अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म०प्र०——गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुध्द आदेश माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला उमरिया म०प्र० का प्रकरण क्र. 100/स्वमेव निग. /2011–12, व आदेश दिनांक 17. 5. 2013, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई. ।

====================================

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य

===========

यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक के पक्ष मे नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा जरिये प्र.क्र. 1050/अ–19(4)–89–90 व पारित आदेश दि. 30. 7. 1990 मे आराजी नं0 577 रकबा 0.510 है. भूमि की पात्रता व विधि अनुसार पेरीना कब्जा होने के उपरांत कब्जे की जांच –पड़ताल विधि अनुकूल व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30. 7. 1990 मे पारित किया गयाथा, राजस्व अभिलेख मे नाम आवेदक/निगरानीकर्ता का दर्ज है, मौके मे कब्जा दखल कायम है, अवधि बाहर स्वनिगरानी मे वर्ष 24 साल बीत जाने के उपरांत उपरोक्त नामांतरण प्रकरण को स्वनिगरानी मे अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया द्वारा लिया जाकर विधि विरुध्द आदेश दिनांक 17. 5. 2013 को पारित किया गया है। जिस

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1872-दो/2016 जिला उमरिया भोलाप्रसाद विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 100/स्व.निग./2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17-05-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 28/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	